न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह, उगमी पत्नी उदाराम कुमावत कुवामनरसिटी वगैरह

प्रा.पत्र नम्बर 40/2022 **GCMS No.2022/85**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24/8/2022	अप्रार्थी सं. 2, 3, 5, 6, 8 से 10, 14 से 20, 23, 24, 26, 34 से 37, एवं उनके अधिवक्ता श्री भीकमचन्द कुमावत के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई, अप्रार्थीगणो द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, आसपुरा के खसरा नम्बर 309 में भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थीगणें के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व दिनॉक 23.03.2022 को एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 309 रकबा 4.88 हैक्टर सहखातेदारी में अप्रार्थीगणो के नाम कृषि भूमि दर्ज चली आ रही है, जिसमें उनके द्वारा आज दिन भी कृषि कार्य किया जा रहा है तथा किसी प्रकार का कृषि से भिन्न कार्य नही किया गया है केवल मात्र भंवरसिंह सहखातेदार द्वारा कुछ हद तक आवासीय मकानात बनाये है शेष भूमि आज दिन भी कृषि उपयोग में आ रही है, माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के कारण उनके द्वारा किसी प्रकार का बेचान, हस्तानान्तरण, रहन एवं कृषि भूमि पर आवश्यक ऋण उठाये जाकर विकास कार्य नही हो पा रहे है प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की किसी प्रकार की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, उपरोक्त भूमि कृषि योग्य उपयोग में आ रही है तथा केवल मात्र भंवरसिंह द्वारा कुल रकबा 4.88 हैक्टर में से 0.1716 हैक्टर को कृषि से अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है, जिसके कारण अन्य सहखातेदारान भी प्रभावित हो रहे है तथा उन्हे किसी प्रकार की कृषि सहायता एवं अन्य बैंको इत्यादि से कृषि ऋण पत्रावली इत्यादि तैयार कर कृषि सुधार कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अतः प्रथम दृष्टया मामला सुवधिा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 23.03.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)